पत्र संख्या–11/आ०–विविध–07/2021 सा0प्र0.5444

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

जय शंकर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
अपर मिशन निदेशक,
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना।

पटना–15, दिनांक 2.6.21

विषय :– गैर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–225 दिनांक–16.01.2007 तथा परिपत्र संख्या–13623 दिनांक–10.09.2015 के द्वारा क्रमशः राज्य के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत सूचीबद्ध जातियों की सूचना परिचारित की गई है। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–10052 दिनांक–13.07.2015 के द्वारा हिन्दु समुदाय के उच्च जातियों के ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार एवं कायस्थ तथा मुस्लिम समुदाय के उच्च जातियों सैय्यद, शेख एवं पठान (खान) जातियों के सदस्यों को बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने का निदेश पूर्व से परिचारित है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–2622 दिनांक–26.02.2019 द्वारा राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके आलोक में गैर आरक्षित वर्ग के ऐसे सदस्यों को, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए अनुमान्य आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, इसके अन्तर्गत निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1194 दिनांक–22.11.2020 द्वारा सिंधी एवं खत्री जाति के सदस्यों को नियमानुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र निर्गत करने का अनुरोध बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना से किया गया है।

3. यह भी उल्लेखनीय है कि जो जातियाँ राज्य के अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत सूचीबद्ध नहीं हैं, ऐसी सभी जातियाँ गैर आरक्षित वर्ग के अधीन मानी जाती है तथा गैर आरक्षित वर्ग की कोई सूची नहीं है। अतएव सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए प्रकाशित सूची के अतिरिक्त बिहार राज्य की अन्य सभी जातियों को गैर आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत मानते हुए इन जातियों के अभ्यर्थियों को उनकी संगत जाति से संबंधित जाति प्रमाण–पत्र उनके अभ्यावेदन के आधार पर निर्गत किया जा सकता है तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप जाँचोपरान्त इन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र भी निर्गत किया जाय।

विश्वासभाजन,
31/5/2021
(जय शंकर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

FILE PATH-Q/DHARMRAJ LETTER-2

ज्ञापांक–11/आ०–विविध–07/2021 सा0प्र0 544 पटना–15, दिनांक– 2.6.21

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार पटना/सभी विश्वविद्यालय/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना/परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना/सचिव, बिहार राज्य विश्व विद्यालय सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/5/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।